



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-609 राँची, मंगलवार,

7 दिसम्बर, 2021 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

संशोधित संकल्प

3 दिसम्बर, 2021

संख्या-02/कृ०गो०रा०-15/2020--श्री संतोष लकड़ा, तत्कालीन जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा-सह-सरायकेला खरसावाँ के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत काजू एवं आम के वृक्षारोपण योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने से संबंधित गंभीर आरोपों के संदर्भ में गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में सन्निहित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित प्रतीत होने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या - 1099 दिनांक - 07.07.2020 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री गौरी शंकर मिंज, विभागीय जाँच पदाधिकारी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी एवं श्री चन्द्र भूषण, अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया गया था ।

3. प्रस्तोता पदाधिकारी श्री चन्द्र भूषण से दिनांक - 28.10.2021 को प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में प्रस्तुत मामले में श्री विभाष चन्द्र सिंह, अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

4. विभागीय संकल्प संख्या - 1099 दिनांक - 07.07.2020 को उक्त हद तक संशोधित समझा जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृष्ण कुमार पाण्डेय,
सरकार के उप सचिव ।
